सं.एचओ:बीआर:110: 23

02.02.2018

मानव संसाधन परिचालन प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

सब/फाइल:पीईआरएस-4 भारत में सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र प्रिय महोदय,

विषय: फरवरी 2018से जुलाई 2018तक की अवधि के लिए देय मंहगाई राहत:

- i. हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जीवित कर्मचारियों को
- ii. हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के जीवित जीवनसाथियों को जिन्हें अनुग्रह प्राप्त हो रहा है.

शाखाएं जानती हैंकि भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त हुए जीवित कर्मचारियों और उनके जीवित जीवनसाथियों को अनुग्रह भुगतान प्रदान किया जाता है.

इस मामले में, हम आपका ध्यान हमारे परिपत्र सं. एचओ:बीआर:109/58 दिनांक 13.04.2017 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके द्वारा शाखाओं को 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जीवित कर्मचारियों और उनकेजीवित जीवनसाथियों कोअप्रैल 2017 सेअनुग्रह भुगतान के केन्द्रीकरण के बारे में सूचित किया गया था. अत: हमारा स्टाफ पेंशन विभाग, प्र.का, मांडवी, बड़ौदा अप्रैल 2017 से इन लाभार्थियों को प्रत्येक माहअनुग्रह का भगतान कर रहा है.

भारतीय बैंक संघ ने हमें सूचित किया है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को**फरवरी 2018 से जुलाई 2018** तक के लिए देय मंहगाई राहत निम्नानुसार होगी:-

लागू सीपीआई औसत		अनुग्रह राशि प्रति माह	मंहगाई राहत की दर	मंहगाई राहत की राशि प्रति माह	महगाई राहत सहित कुल अनुग्रह राशि प्रति माह
		₹.	%	₹.	₹.
6353	1.1.1986से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी	350	996.29	3487	3837
	1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवित पति/पत्नी	175	996.29	1744	1919

अनुग्रह भुगतान के केन्द्रीकरण के बाद से, शाखाओं को अप्रैल 2017 से अनुग्रह भुगतान नहीं करने केअनुदेश दिए गएहैं. अत: फरवरी 2018 से जुलाई 2018 तक के लिए1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे कर्मचारियों को देय महंगाई राहत के संशोधन से संबंधित यह परिपत्र केवल शाखाओं की जानकारी के लिए है,ताकिसेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा महंगाई राहत की मौजूदा दर के बारे में पूछे जाने परस्पष्टीकरण दे सके.

भवदीय.

(सी. मालोलन) उप महाप्रबंधक (मा.सं-परिचालन)



HO: BR: 110: 23

02.02.2018

ISSUED BY HUMAN RESOURCE OPERATIONS HEAD OFFICE, BARODA

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Dear Sir,

Re: Dearness Relief payable for the period from February 2018 to July 2018 to:

- (A) Surviving pre-1.1.1986 retirees of our Bank

 (B) Surviving spouses of pre- 1.1.1986 retirees of our Bank who are in receipt of Ex-gratia.

Branches are aware that ex-gratia is paid to surviving pre- 01.01.1986 retirees and their surviving spouses in terms of the directives from Government of India.

In the matter we invite reference to our Circular No. HO:BR:109/58 dated 13.04.2017 vide which branches were informed about centralization of payment of ex-gratia to surviving pre-01.01.1986 retirees and their surviving spouses w.e.f. April 2017. Hence, our Staff Pension Dept, HO, Mandvi, Baroda is paying ex-gratia every month to these beneficiaries from April 17 onwards.

We have been advised by Indian Banks' Association that Dearness Relief payable to such retirees for the period from **February 2018** to **July 2018** would be as under:-

Applicable CPI Average		Amount of Ex-gratia per month	Rate of Dearness Relief	Amount of Dearness Relief per month	Total Exgratia amount including Dearness Relief per month
		Rs	%	Rs	Rs
6551	Pre 01.01.1986 retirees	350	996.29	3487	3837
	Surviving spouse of pre 01.01.1986 retirees	175	996.29	1744	1919

Consequent upon centralization of payment of ex-gratia, the branches are under instructions not to pay ex-gratia from April 2017 onwards, so this circular about revision in the Dearness Relief payable to surviving pre- 01.01.1986 retirees from February 2018 to July 2018 is just for information of the branches to enable them to clarify to such retirees if they ask about present rate of Dearness Relief.

Yours faithfully,

(C Malolan) Deputy General Manager

(HR - Operations)